हुक्म या कार्यवाही मय इन्सिक्वेन्सल ऑर्डर

प्रार्थना पत्र संख्या 26 / 2017 (CASE NO. 2017/00027)

अनवारी राजू सिंह आदि बनाम सूरजन सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1956

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्रमय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता श्रमय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता श्रमय पक्षकारान हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान हाजिर आये। न्यायालय समय तक एक एक कर बार बार आवाज दिलवाई गई। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता श्रमय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। श्रमय पक्षकारान स्वयं भी हाजिर नहीं आये तथा न ही श्रमय पक्षकारान की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः प्रार्थीगण का इस्तगासा प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला सीकर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी